रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257533
SG-DL-E-26092024-257533

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 196

No. 243] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946 [N. C. T. D. No. 196

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

फा. सं. 21/28/DGST(3rd A)/2024/LAS-VII/Leg./7136.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

(2024 का विधेयक संख्यांक 03)

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को पुरःस्थापित किया गया)

दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में आगे संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**:–(i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाए।

(ii) अधिनियम की धारा 2 से 5 उस तारीख को लागू होगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग–अलग तारीख नियुक्त की जा सकती है।

2. **धारा 2 का संशोधन**:–दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, धारा 2 में, –

(क) खंड (80) के बाद, निम्नलिखित खंडों को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थातः –

'(80क) ''ऑनलाइन गेमिंग'' का अभिप्राय इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश है और इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी शामिल है;

(80ख) ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'' का अभिप्राय है ऑनलाइन गेमिंग जिसमें खिलाड़ी खेल, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य गतिविधि या प्रक्रिया सहित किसी भी इवेंट में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य के जीतने की चाह से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सहित पैसे या पैसे के मूल्य का भुगतान या जमा करता है, चाहे उसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं और क्या यह उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है या अन्यथा;';

(ख) खंड (102) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

'(102क) ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' का अभिप्राय है इसमें या इसके माध्यम से शामिल कार्रवाई योग्य दावा–

(i) सट्टेबाजी;

(ii) कैसिनो;

(iii) जुआ;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लॉटरी; या

(vi) ऑनलाइन मनी गेमिंग;';

(ग) खंड (105) में, निम्नलिखित प्रावधान को अंत में सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात : – ''बशर्ते कि एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मालिक है, संचालित करता है या ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है, उसे ऐसे कार्रवाई योग्य दावों का आपूर्तिकर्ता माना जाएगा, चाहे ऐसे कार्रवाई योग्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से आपूर्ति किए गए हों और ऐसी आपूर्ति के लिए वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे या पैसे के मूल्य पर विचार किया गया हो। कार्रवाई योग्य दावों का भुगतान या उसे या उसके माध्यम से सूचित किया जाता है या किसी भी तरीके से उसके निपटान में रखा जाता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के ऐसे आपूर्तिकर्ता पर लागू होंगे, यदि वह ऐसे कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति संबंध में कर का भुगतान करने के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है;'';

(घ) खंड (117) के बाद, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

'(117क) ''वर्चुअल डिजिटल संपत्ति'' का वही अभिप्राय होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में दिया गया है;

3. **धारा 24 का संशोधन**:– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 24 में––

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द ''और'' हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थातः –

''(xi) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करता है; और''।

4. **अनुसूची–III का संशोधनः–**

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में, पैराग्राफ 6 में, ''लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ'' शब्दों के स्थान पर ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **अस्थायी प्रावधानः–**

इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की राज्यान्तरिक आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद ने अपनी 50वीं और 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड और ऑनलाइन गेमिंग की कर योग्यता से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न संघों के प्रतिवेदन पर विचार किया और कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की करदेयता के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिये केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की। **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 की संख्या 30**) की राजपत्र अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2023 और 51वीं बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2023में की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और दिल्ली माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 (2017 का 3) के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 को जहां भी आवश्यक हो, राज्य विशिष्ट आशोधन करने के बाद राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा (तृतीय संशोधन) कर विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैंः

i. ''ऑनलाइन गेमिंग'', ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'' निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' और ''वर्चुअल डिजिटल संपत्ति''अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए खंड (80क), (80ख), (102क) और (117क) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन करना।

''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे'' की आपूर्ति के मामले में ''आपूर्तिकर्ता'' के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए ''आपूर्तिकर्ता'' की परिभाषा में खंड (105) के बाद एक परंतुक सम्मिलित करना।

ii. भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने के लिए नए खंड (xia) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 24 में संशोधन करना और खंड (xi) के अंत में आए ''और'' शब्द को भी हटाना शामिल है।

iii. दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करके अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 6 में ''लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ'' शब्दों के स्थान पर ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' को प्रतिस्थापित करना, ताकि कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग में अथवा के द्वारा शामिल कार्रवाई योग्य दावों की कर देयता के बारे में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

iv. यह स्पष्ट करने के लिए अस्थायी प्रावधान कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग को निषेघ करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयोजन रखता है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 में दिल्ली की समेकित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित दिल्ली माल एवं सेवा अधिनियम (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 अधीनस्थ कानून बनाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पक्ष में शक्ति के प्रत्यायोजन हेतु प्रावधान नहीं करता है।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

खण्डों पर टिप्पणियाँ

[(डीजीएसटी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 हेतु]

1. विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ का प्रावधान करता है।

2. विधेयक का खंड 2 ''ऑनलाइन गेमिंग'', ''ऑनलाइन मनी गेमिंग'', निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे" और "वर्चुअल डिजिटल संपत्ति"। अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2 में खंड (80क), (80ख),(102क) और (117क) सम्मिलित करने का प्रयोजन रखता है"

   यह ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों'' की आपूर्ति के मामले में ''आपूर्तिकर्ता'' के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए 'आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा में एक प्रावधान शामिल करने का भी प्रयोजन रखता है।

3. विधेयक का खंड 3 भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने के लिए नए खंड (xia) को शामिल करके दिल्ली माल एवं सेवा कर, 2017 की धारा 24 में संशोधन करना और खंड (xi) के अंत में आए ''और'' शब्द को भी हटाने का प्रयोजन रखता है।

4. विधेयक का खंड 4 का प्रयोजन दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची–III में संशोधन करके अधिनियम की अनुसूची III के पैराग्राफ 6 में ''लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ'' शब्दों के स्थान पर ''निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा'' को प्रतिस्थापित करना है, ताकि कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग में अथवा के द्वारा शामिल कार्रवाई योग्य दावों की कर देयता के बारे में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

5. विधेयक के खंड 5 में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए संशोधन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़ को निषेध करने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने का प्रावधान करते हैं।

(आतिशी)
मुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

रंजीत सिंह, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th September, 2024

F. No. 21/28/DGST(3rd A)/2024/LAS-VII/Leg./7136..—The following is published for general Information:—

"THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT) BILL, 2024"

(BILL NO. 03 OF 2024)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 26 September, 2024)

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX(THIRDAMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement**:-(i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Third Amendment) Act, 2024.

(ii) Section 2 to5 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.

2. **Amendment of section 2**:- In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(here in after referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 2, —

(a) after clause *(80)*, the following clauses shall be inserted, namely:—

'*(80A)* "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;';

(b) after clause *(102)*, the following clause shall be inserted, namely:—

'*(102A)* "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of—

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;';

(c) in clause *(105)*, the following proviso shall be inserted at the end, namely:— "Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for

supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;";

(d) after clause *(117)*, the following clause shall be inserted, namely:—

'*(117A)* "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause *(47A)* of section 2 of the Income-tax Act, 1961;

3. Amendment of section 24:-In the Delhi Goods and Services Tax Act, in Section 24, —

(a) in clause *(xi)*, the word "and" ocurring at the end, shall be omitted;

(b) after clause *(xi)*, the following clause shall be inserted, namely:—

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. **Amendment of Schedule-III**

In Schedule III to the Delhi Goods and Services Tax Act, in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.

5. **Transitory provision:-**

The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of Tax on Intra-State supply of goods or services or both by the Government of National Capital Territory of Delhi.
2. The GST Council in its 50th and 51st meetings considered representation from various associations on the issues regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming and recommended to make certain amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) to provide clarity regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming. The copy of the Gazette Notification of THE CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX (AMENDMENT) ACT, 2023 (NO.30 OF 2023) is annexed as Annexure-I. Through The Central Goods and Service Tax (Amendment) Act, 2023 Central Government has amended the provisions of the Central Goods and Service Tax, 2017 on the basis of the recommendations made in the GST council 50^{th} meeting dated, 11^{th} July, 2023 and 51^{th} meeting dated 2^{nd} August, 2023. In order to ensure uniformity between the CGST Act, 2017 and Delhi Goods and Services Tax, 2017 (3 of 2017), the Delhi Goods and Service Tax (Third Amendment) Act, 2024 is required to be enacted by the State Legislature after making State specific modifications, wherever necessary.
3. The salient features of the proposed Delhi Goods and Services (Third Amendment) Tax Bill, 2024 are stated as under:

i. To amend Section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 by insertion of new clause (80A), (80B), (102A) and (117A) to define the expressions " online gaming", "online money gaming"' "specified actionable claim" and "virtual digit asset".

To insert a proviso after clause (105), in the definition of "supplier" to provide clarity regarding "supplier" in case of supply of "specified actionable claim.

ii. To amend section 24 of the Delhi Goods and Services Tax, 2017 by insertion of new clause *(xia)* to provide for mandatory registration of the person for supplying online money gaming, from a place outside India to a person in India and also to omit the word "and" occurring at the end of clause *(xi)*.

iii. To amend Schedule-III of the Delhi Goods and Services Tax Act to substitute "specified actionable claim" in paragraph 6 of schedule III of the Act, for the words "lottery, betting and gambling" , so as to provide clarity regarding taxability of actionable claims involved in or by the way of casinos, horse racing and online gaming.

iv. Transitory provision to clarify that the amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

(ATISHI)
Chief Minister/Minister (Finance)
Government of NCT of Delhi

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi.

(ATISHI)
Chief Minister/Minister (Finance)
Government of NCT of Delhi

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The proposed Delhi Goods and Services Act (Third Amendment) Bill, 2024 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

(ATISHI)
Chief Minister/Minister (Finance)
Government of NCT of Delhi

NOTES ON CLAUSES

[For DGST (Third Amendment) Bill, 2024]

1. Clause 1 of the Bill provides for short title and commencement.
2. Clause 2 of the Bill seeks to insert clause (80A), (80B), (102A) and (117A) in section 2 of the Delhi Goods and Services Tax Act to define the expressions “online gaming”, “online money gaming”, specified actionable claims” and “ virtual digital asset”.

   It also seeks to insert a proviso in the definition of ‘supplier” to provide clarity regarding “supplier” in case of supply of “specified actionable claims”.
3. Clause 3 of the Bill seeks to amend section 24 of the Delhi Goods and Services Tax, 2017 by insertion of new clause *(xia)* to provide for mandatory registration of the person for supplying online money gaming, from a place outside India to a person in India and also to omit the word “and” occurring at the end of clause *(xi)*.
4. Clause 4 of the Bill seeks to amend Schedule-III of the Delhi Goods and Services Tax Act to substitute “specified actionable claim” in paragraph 6 of schedule III of the Act, for the words “lottery, betting and gambling”, so as to provide clarity regarding taxability of actionable claims involved in or by the way of casinos, horse racing and online gaming.
5. Clause 5 of the Bill seeks to clarify the amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

(ATISHI)
Chief Minister/Minister (Finance)
Government of NCT of Delhi

RANJEET SINGH, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.26 23:39:19 +05'30'